न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 241 सन 2023
अनवान :–

1. निशान्त पुत्र अनिल कुमार नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मिनाक्षी पत्नी अनिल कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. दानाराम पुत्र महावीर जाति ब्राहम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर (हनुमानगढ)
2. अशोक कुमार पुपत्र रामकुमार जाति जाट निवासी खोपडा तहसील नोहर।
3. बनेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी खोपडा तहसील नोहर।
4. रायसाहब पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खोपडा तहसील नोहर।
5. रणजीत सिह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खोपडा तहसील नोहर।
6. सुमन कुमारी पत्नी बुधराम गोदारा जाति जाट निवासी मेधाना तहसील नोहर।
7. सुनीता ढाका पत्नी जयवीर गोदारा जाति जाट निवासी मेधाना तहसील नोहर।
8. अनिल कुमार पुत्र दानाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर।
9. हनुमान शर्मा पुत्र दानाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर।
10. भावना पुत्री दानाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर।
11. दया पुत्री दानाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
13. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 04/03/2025

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 184/186 की कुल 57.8070हैक मे से 1419 हिस्सा भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के दादा के नाम मुश्तरका खातेदार काश्तकार थे वादी के पडदादा के देहान्त होने पर वादी के दादा के नाम दर्ज हुई जिसमे वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 का जन्म से हक अधिकार था।

वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 ने सम्पूर्ण भूमि वादी के पडदादा के देहान्त होने पर दर्ज हो गई प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये बेयनामा 4.00 बीधा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को बेचान कर दी जिसका नामान्तकरण संख्या 2131 दिनांक 23.07.2021 को दर्ज हुआ तथा द्वितीय बैयनामा 4.00 बीधा का फिर प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 2164 दिनांक 01.10.2021 को दर्ज किया गया अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को कुल 8.00 बीधा भूमि का बेचान कर दिया एवं शेष बची भूमि 2.4610हैक का बैयनामा दिनांक 03.03.2023 को प्रतिवादी संख्या 7 ,8 को कर दिया इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम [illegible]ण भूमि का बेचान कर दिया जबकि वह अपने हक हिस्सा की 1/[illegible] भूमि का ही बेयनामा करवाने का अधिकारी था

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.12 10:38:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 ने विधि विरूद्ध तरी[illegible] से वादी व प्रतिवादी [illegible] 8 ता 11 को उनके हक हिस्सा से महरूम /वंचित कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के 0.897 है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि व शेष भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 8 के बहिब के व प्रतिवादी हैक संख्या 9 ता 11 प्रत्येक 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 181/184 की कुल 57.हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1, 6, 7 अपना नाम कलमजन करवाकर व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज 2.024हैक में से 1.127हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 अपना नाम कलमजन करवाकर 0.897हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 8 बहिब के दर्ज करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने नाम गलत दर्ज भूमि को अन्य लोगो को बेचान करने की फिराक में अगर ऐसा होता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होती है जिसकी भरपाई किसी प्रकार से नही हो सकती है इसलिये वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 181/184 की कुल 57.8070हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 व 6 ,7 का नाम कलमजन किया जाकर व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज 2.024है मे से 1.127हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम से कलमजन कर 0.897हैक भूमि व वादी प्रतिवादी संख्या 8 बहिब दर्ज की जावे व प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 प्रत्येक 0.897हैक भूमि दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई प्रतिवादी संख्या 12 ,13 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया वादी के वाद का विरोध पेश नही होने पर तनकी कायम की आवश्यकता नही है वादी से साक्ष्य लिये गये वादी ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया जिरह नही करने पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया वादी के पडदादा महावीर के नाम रोही मौजा मेधाना में मुश्तरका खाता में 1419 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था महावीर ने अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम दर्ज करवा दी एवं वादीगण के दादा महावीर के मृत्यू के वाद महावीर के महावीर की पुत्रीयो के हकत्याग करने के उपरान्त महावीर के नाम दर्ज भूमि विरास्तन से उनके पुत्रों के नाम दर्ज हो गई अर्थात वादी के पडदादा महावीर के देहान्त होने पर उनके पुत्रों के नाम भूमि दर्ज हो गई .और वादी के दादा दानाराम के नाम हक हिस्सा अनुसार 354 हिस्सा भूमि दर्ज हो गई जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 का हक हिस्सा था जिसकी वादी धोषणा करवाने का अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 दानाराम ने अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये बेयनामा 4.00 बीधा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को बेचान कर दी जिसका नामान्तकरण संख्या 2131 दिनांक 23.07.2021 को दर्ज हुआ तथा द्वितीय बैयनामा 4.00 बीधा का फिर प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 2164 दिनांक 01.10.2021 को दर्ज किया गया अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को कुल 8.00 बीधा भूमि का बेचान कर दिया एवं शेष बची भूमि 2.4610हैक का बैयनामा दिनांक 03.03.2023 को प्रतिवादी संख्या 7 ,8 को कर दिया इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज सर्म्पूण भूमि का बेचान कर दिया जबकि वह अपने हक हिस्सा की 1/5 हिस्सा अर्थात 0.897हैक भूमि का ही बेयनामा करवाने का अधिकारी था।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का [illegible] ने अपने नाम दर्ज भूमि में से अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का [illegible] किया गया है जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 के हक हिस्सा के मुकाबले शुन्य है प्रतिवादी संख्या 1 अपने हक हिस्सा 1/5 हिस्सा अर्थात 0.897हैक भूमि का ही बेचान [illegible] सकता था किन्तु अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठा कर अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का बेचान किया गया है जो अपने हकों से अधिक भूमि का बेचान वादी के हकों के मुकाबले शुन्य है हको से अधिक बेचान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.12 10:38:50 IST
Reason: SelfAttested

आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 किसी प्रकार का हक अधिकार वाद भूमि में पाने का अधिकारी नही है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 181/184 की कुल 57.8070हैक्ट में से प्रतिवादी संख्या 1 व 6 ,7 का नाम कलमजन किया जाकर व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज 2.024है मे से 1.127हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम से कलमजन कर 0.897हैक्ट भूमि व वादी प्रतिवादी संख्या 8 बहिब दर्ज की जावे व प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 प्रत्येक 0.897हैक्ट भूमि दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार विवेचन निम्नप्रकार से है :–

रोही मौजा मेधाना में वादी के पडदादा महावीर प्रसाद के नाम 1419 हिस्सा भूमि दर्ज थी

वादी के पडदादा महावीर ने अपने जीवन काल में अपने पूर्वजों से प्राप्त भूमि में अपने पुत्रों के हक हिस्सा के अनुसार भूमि उनके नाम दर्ज करवा दी और अपने हक हिस्सा की भूमि अपने नाम रखी जो प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 881 रोही मौजा मेधाना के कॉलम सेंख्या 7 से स्पष्ट है जिसमें स्पष्ट तौर से अंकित किया गया है कि महावीर 473 हिस्सा एव उनके पुत्र नित्यानन्द , दानाराम, सुधीर कुमार , राजेश कुमार पि0 महावीर प्रसाद बहिब 946 हिस्सा दर्ज है।

नामान्तकरण संख्या 881 रोही मौजा मेधाना से पूर्णत्या स्पष्ट है कि महावीर पुत्र श्योलाल को अपने पूर्वजो से प्राप्त 1419 हिस्सा भूमि में अपने पुत्रो के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम दर्ज करवाकर अपने हक हिस्सा की भूमि अपने नाम रखी गई थी।

नामान्तकरण संख्या 881 रोही मौजा मेधाना महावीर प्रसाद पुत्र श्योलाल के देहान्त होने पर उनके जायज वारिसान एव महावीर प्रसाद की पुत्रीयों के द्वारा दस्तवरदारी करवाने के उपरान्त महावीर पुत्र श्योलाल के पुत्रों नित्यानन्द , दानाराम, सुधीर कुमार , राजेश कुमार पि0 महावीर प्रसाद के सर्म्पूण 1419 हिस्सा दर्ज हो गया जो जमाबन्दी सम्वत 2071–74 से पूर्णत्या स्पष्ट है।

नामान्तकरण संख्या 881 रोही मौजा मेधाना एवं प्रस्तुत पास बुक के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के पडदादा महावीर पुत्र श्योलाल के पूर्वजों के नाम दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर महावीर पुत्र श्योलाल के नाम 1419 हिस्सा दर्ज हुआ तत्पश्चात महावीर पुत्र श्योलाल के देहान्त होने के उपरान्त एवं महावीर प्रसाद की पुत्रीयों के द्वारा दस्तवरदारी करवाने के पश्चात समस्त वाद भूमि महावीर प्रसाद के पुत्रों नित्यानन्द , दानाराम, सुधीर कुमार , राजेश कुमार पि0 महावीर प्रसाद के नाम दर्ज हुई थी जो नामान्तकरण , पासबुक की प्रति से पूर्णत्या साबित है अर्थात वादी के दादा दानाराम के नाम दर्ज 354 हिस्सा भूमि विरास्तन से प्राप्त हुई थी स्वय की अर्जित भूमि नही थी विरास्तन से भूमि प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति होना पूर्णरूप से साबित है।

रोही मौजा मेधाना में वादी के दादा दानाराम के नाम 354 हिस्सा पैतृक सम्पति थी जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब का हक हिस्सा था किन्तु राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 दानाराम के नाम से दर्ज चली आ रही थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.12 10:38:50 IST
Reason: SelfAttested

वादी का कथन है कि प्रतिवादी [illegible] दानाराम जो वादी का दादा है ने नाम पैतृक सम्पति अपने नाम दर्ज [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये बेयनामा 4.00 बीधा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 [illegible] कर दी जिसका नामान्तकरण संख्या 2131 दिनांक 23.07.2021 को दर्ज हुआ तथा [illegible]तीय बैयनामा 4.00 बीधा का फिर प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 2164 दिनांक 01.10.2021 को दर्ज किया गया अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को कुल 8.00 बीधा

उपखण्ड अधिकारी
कोटड

भूमि का बेचान कर दिया एवं शेष बची भूमि 2.4610हैक का बैयनामा दिनांक 03.03.2023 को प्रतिवादी संख्या 7 ,8 को कर दिया इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज सर्म्पूण भूमि का बेचान कर दिया जबकि वह अपने हक हिस्सा की 1/5 हिस्सा अर्थात 0.897हैक भूमि का ही बेयनामा करवाने का अधिकारी था प्रस्तुत दस्तावेजात /नामान्तकरण/पासबुक अनुसार वादी का कथन उचित विधिसम्मत प्रतीत होता है।

वादी के दादा दानाराम को वादी भूमि अपने पिता महावीर प्रसाद पुत्र श्योलाल के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई थी पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित हो की वाद भूमि वादी के दादा दानाराम की स्वअर्जित भूमि हो प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक भूमि होना पूर्णरूप से प्रमाणित होता है।

वादी का दादा दानाराम जिनके वाद भूमि दर्ज थी जो विरास्तन से प्राप्त हुई थी अर्थात पैतृक सम्पति थी पैतृक सम्पति होने के कारण वाद भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 का वाद भूमि में हक हिस्सा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार था अर्थात वादी के दादा दानाराम के नाम दर्ज भूमि में दानामा का 70 हिस्सा वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 का 70 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 9 ,10 ,11 प्रत्येक का 70 हिस्सा के हकदार थे मात्र राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चली आ रही थी जो मात्र कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज थी।

वादी का दादा दानराम प्रतिवादी संख्या 1 वाद भूमि में से अपने हक हिस्सा की भूमि अर्थात 0.897हैक भूमि को बेचान करने का अधिकारी था इससे अधिक भूमि बेचान करने का अधिकारी नही था किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद भूमि अपने दर्ज होने का फायदा उठाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि का बेचान बिना किसी अधिकारी केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 को बेचान कर दिया गया जो विधि विरूद्व है प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 को अपने से अधिक भूमि बेचान करने का अधिकारी नही था यदि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का बेचान किया गया है तो वह वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 के हकों के मुकाबले शुन्य है मात्र बैयनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 किसी प्रकार का हक अधिकार पाने के अधिकारी नही है।

प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 को करवाये गये बेयनामा को शुन्य एवं हकों के मुकाबले शुन्य करवा पाने का अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 को करवाये गये बेयनामा प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा तक तो विधिमान्य किया जा सकता है उससे अधिक करवाये गये बैयनामा को शुन्य एव निष्प्रभावी करवाकर अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद भूमि पूर्व में महावीर पुत्र श्योलाल के पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर महावीर पुत्र श्योलाल के नाम विरास्तन से दर्ज हुई थी जो प्रस्तुत पासबुक की प्रति से पूर्णत्या साबित है महावीर पुत्र श्योलाल के नाम 1419 हिस्सा भूमि दर्ज है महावीर पुत्र श्योलाल के देहान्त होने के बाद एवं महावीर प्रसाद की पुत्रों के द्वारा हक त्याग करने के बाद वाद भूमि उनके पुत्रों के नाम दर्ज हुई थी अर्थात नित्यानन्द , दानाराम, सुधीर कुमार , राजेश कुमार पि0 महावीर प्रसाद कुल 1419 हिस्सा भूमि दर्ज हुई जो जमाबन्दी सम्वत 2071–74 से पूर्णत्या साबित है इसप्रकार वादी का दादा दानाराम पुत्र महावरी प्रसाद के नाम विरास्तन से 354 हिस्सा भूमि दर्ज हुई विरास्तन से भूमि वादी के दादा दानाराम के नाम दर्ज होने से पैतृक सम्पति होना पूर्णरूप से प्रमाणित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.12 10:38:50 IST
Reason: SelfAttested

वाद भूमि जो वादी के दादा दानाराम के नाम से 354 हिस्सा दर्ज थी में वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 का हक हिस्सा था अर्थात प्रत्येक 1/5 हिस्सा भूमि के हकदार थे किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का दादा ने अपने नाम समस्त भूमि दर्ज होने का फायदा उठाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि का बेचान बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 को कर दिया गया जो विधि विरूद्व है प्रतिवादी संख्या 1 अपने हक हिस्सा 0.897 अर्थात 1/5

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा भूमि का ही बेचान करने का अधिकारी था इससे अधिक भूमि का बेचान करने का अधिकारी नही था क्योकि शेष भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि थी जिसे बेचान करने का प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार नही था यदि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपने हकों से अधिक का बेचान कर भी दिया जाता है तो वह वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 के हकों के मुकाबले शुन्य है जिसका वादी के हकों पर कोई प्रभाव नही होगा वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 को करवाये गये बेयनामा को वादी के हकों तक पश्चात से शुन्य किया जाकर वादी के हक हिस्सा की भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 के नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 181/184 की कुल 57.8070हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या ,6 ,7 के नाम कलमजन किया जाकर व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज 2.024हैक में से 1.127हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर 0.897हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 8 बहिब व प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 प्रत्येक 0.897हैक भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/03/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.12 10:38:50 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. निशान्त पुत्र अनिल कुमार नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मिनाक्षी पत्नी अनिल कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 दानाराम पुत्र महावीर जाति ब्राहम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर (हनुमानगढ)
2. अशोक कुमार पुपत्र रामकुमार जाति जाट निवासी खोपडा तहसील नोहर।
3. बनेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी खोपडा तहसील नोहर।
4. रायसाहब पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खोपडा तहसील नोहर।
5. रणजीत सिह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खोपडा तहसील नोहर।
6. सुमन कुमारी पत्नी बुधराम गोदारा जाति जाट निवासी मेधाना तहसील नोहर।
7. सुनीता ढाका पत्नी जयवीर गोदारा जाति जाट निवासी मेधाना तहसील नोहर।
8. अनिल कुमार पुत्र दानाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर।
9. हनुमान शर्मा पुत्र दानाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर।
10. भावना पुत्री दानाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर।
11. दया पुत्री दानाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
13. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 241 सन 2023 निर्णय दिनांक– 04/03/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 181/184 की कुल 57.8070हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या ,6 ,7 के नाम कलमजन किया जाकर व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज 2.024हैक में से 1.127हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर 0.897हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 8 बहिब व प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 प्रत्येक 0.897हैक भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.12 10:38:50 IST
Reason: SelfAttested